



(स्थापना अनुभाग-पांच / Establishment Section-V)

F. No. /Misc E-V /46(92024)

Date: 18.03.2024

परिपत्र/Circular

ऐसा संज्ञान में आया है कि संस्थान परिसर में बाहर से आने वाले आगंतुक दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के भी अंदर आते देखे जा सकते हैं। साथ ही संस्थान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी और छात्रों के साथ-साथ परिसर के निवासी भी संस्थान परिसर में बिना हेलमेट पहने प्रवेश करते या बाहर जाते देखे जा सकते हैं। साथ ही संस्थान में दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन दोनों कई बार तेज चलाते हुए पाए जाते हैं दोनों ही स्थिति खतरनाक है तथा बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना व तेज गति से वाहन चलाना वाहन नियम का उल्लंघन भी है।

अतः संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा परिसर के निवासियों को सलाह दी जाती है कि संस्थान परिसर में दोपहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का उपयोग करें/लगाएं व दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन को निर्धारित गति सीमा 30 कि० मी०/प्रति घंटा में ही चलाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा प्रहरियों को भी इस बात का ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं कि कोई भी दोपहिया वाहनों पर आने वाले आगंतुक बिना हेलमेट के संस्थान परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए व वाहन को निर्धारित गति सीमा 30 कि० मी०/प्रति घंटा में ही चलाना चाहिए। बिना हेलमेट पहने यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी और छात्र या परिसर निवासी दो पहिया वाहन चालक देखा जाता है व वाहन को निर्धारित गति सीमा 30 कि० मी०/प्रति घंटा से अधिक चलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल को उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों तथा सभी छात्रों में परिचालित करने के लिए भी कहा जाता है।

It has been observed that visitors coming from outside into the Institute campus on two-wheelers can be seen without wearing helmets. Besides, Officers, employees and students of the Institute as well as the residents of the campus can also be seen driving two-wheelers without wearing helmets in the campus. It has also been observed that two-wheelers and four-wheelers are often found driving fast in the Institute campus. Both the situations are dangerous and are violations of traffic rules.

Therefore, all the officers, employees, students of the Institute and the residents of the campus are advised to always use/wear helmet while driving two-wheelers and the vehicle should be driven within the prescribed speed limit of 30 km/hour only in the campus. Security guards also need to take care that entry of visitors coming on two-wheelers should be allowed in the Institute premises only when are wearing helmet. If any officer, employee, student or campus resident is seen driving a two-wheeler without wearing a helmet or found driving the vehicle more than prescribed speed limit of 30 Km/hour appropriate action can be taken against him. Therefore, all Head of Divisions/Section Incharges of ICAR-NDRI, Karnal are requested to bring the contents of the circular to the notice of all the staff members and Students for strict compliance.

(इसे निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल के अनुमोदन से जारी किया गया है।)

(This issues with the approval of The Director, ICAR-NDRI, Karnal.)

18/3/24
20-3-2024

(दिनेश नागपाल)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

Chief Administrative Officer

वितरण Distribution

1. सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल को उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों तथा सभी छात्रों में परिचालन हेतु।
All HODs/Sections, ICAR-NDRI, Karnal for circulating the same amongst all the staff members and all the Students.
2. प्रधान निजी सचिव को निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं की सूचनार्थ।
PPS of the Director for kind information of the Director, ICAR-NDRI, Karnal.
3. प्रधान निजी सचिव को संयुक्त निदेशक(प्रशा.) एवं वरिष्ठ कुलसचिव के सूचनार्थ/PPS of Jt. Director (Admn) & Sr. Registrar for information of the Jt. Director (Admn) & Sr. Registrar .
4. अनुरक्षण अभियंता, एम.ई. अनुभाग से अनुरोध है कि संस्थान परिसर में प्रमुख स्थानों पर 30 किमी/घंटा की निर्धारित गति सीमा के साइन-बोर्ड लगवाएं/Maintenance Engineer, M.E. Section is requested to put sign-boards of prescribed speed limit of 30 Km/h at prominent places in the institute premises
5. प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र को संस्थान की वेबसाइट/ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोडिंग हेतु। The I/C Computer Centre for uploading this circular on the website/E-Office Notice Board of the institute.
6. सुरक्षा अधिकारी को इस संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
Security officer for information and further necessary action.